अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैं आपको अगली बार मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करने का जो दायित्व निभाया, उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं। यह चर्चा, विश्वास मत के ऊपर हुई चर्चा के लगभग तुरंत बाद ली गई है, इसलिए कुछ पुनरावृत्ति स्वाभाविक है। लेकिन सदस्यों ने जिस उत्साह के साथ चर्चा में भाग लिया और अभी भी बहुत से सदस्य ऐसे है जो भाग लेने से वंचित रह गये हैं, उससे सदस्यों की भागीदारी का प्रमाण मिलता है। सत्ता-पक्ष की ओर से श्री बलराम जी जाखड़ ने चर्चा का प्रारम्भ किया था। *...(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: विपक्ष की ओर से प्रारम्भ हुआ था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हां, विपक्ष की ओर से। अध्यक्ष जी, आदत जाते-जाते जाएगी।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, ये होने वाली घटनायें अपनी छाप छोड़ती हैं।

[हिन्दी]

अटल बिहारी वाजपेयी: उन्होंने, मेरे मित्र श्री जनार्दन रेड्डी ने और कुछ सदस्यों ने भी यह टिप्पणी की है कि जिस राष्ट्रीय एजेंडा के आधार पर सरकार गठित हुई है और सरकार काम करेगी, उसमें सब्जबाग ज्यादा दिखाए गये हैं, हवाई बातें अधिक की गई हैं, स्वर्ग को धरती पर उतार कर लाने की कोशिश की गई है। कम से कम वायदा तो किया ही गया है और फिर हमारे माननीय सदस्य इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह मतदाताओं को धोखे में डालने के लिए किया गया है। ऐसा कहना भारत के प्रबुद्ध मतदाता के साथ न्याय करना नहीं है।

अभी 12वीं लोक सभा का चुनाव हुआ है। लोगों को भले ही शिक्षा का अवसर न मिला हो, लोग भले ही बड़ा ऊंचा जीवन-स्तर गुजारने वाले न हों, लेकिन भारत का आम आदमी, आम मतदाता, उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, देश के क्या हित में है, क्या अहित में है, इसकी पूरी समझ रखता है और उसने इस समझ का हमेशा ही परिचय दिया है। जब थोड़े से कालखंड के लिए लोकतंत्र तिरोहित हो गया था, देश एक बड़े जेलखाने में बदल दिया गया था, तब भी जनता जागरुक थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही और जब उस समय चुनाव हुए उसके परिणाम, उसकी जागरुकता का परिचय देने वाले थे। क्या भारत के मतदाता को हरे-बाग दिखाकर बहकाया जा सकता है, क्या वह वायदों को कसौटी पर नहीं कस सकता?

हमने कोई आसमान के तारे तोड़ कर लाने का वचन नहीं दिया। हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचने का वायदा किया है—क्या यह हवाई वायदा है? यह जमीन से जुड़ा वायदा है। यह हर आम आदमी की प्यास को बुझाने का वायदा है। अगर हम इसे पूरा नहीं कर सके तो यह राष्ट्रीय विफलता है। अगर हम इसे पूरा करके दिखाएंगे तो वह पार्टी या सरकार की सफलता नहीं होगी, सारे राष्ट्र की सफलता होगी। हमने जो भी वायदे किये हैं, हम ठोस रूप में उन्हें परिवर्तित करना चाहते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि साधनों की इतनी कमी नहीं है, साधन यत्र-तत्र बिखरे हैं। उन साधनों को जुटा कर, अगर तंत्र को एक लक्ष्य के लिए समर्पित करने के लिए तैयार किया जाए और राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो ये वायदे पूरे हो सकते हैं, इन वायदों पर अमल किया जा सकता है। मैं इस काम में सदन का सहयोग चाहता हूं। मैं इस छोटे से काम के लिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम बन गया है, कठिन काम बन गया है, सबके सहयोग की कामना करता हूं। अगर हमने जनता के साथ किये गये वायदे पूरे नहीं किए तो क्या फिर हमें जनता के पास नहीं जाना होगा? क्या उस समय जनता नहीं पूछेगी? क्या आप उस समय जनता से नहीं कहेंगे कि इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किये थे, उन पर अमल नहीं किया, अब ये वोट के हकदार नहीं हैं। भारत का प्रबुद्ध मतदाता हमें हटा देगा। आखिर लोगों पर कुछ तो भरोसा रखना होगा। इस देश की जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता। अंग्रेजी में कहावत है कि थोड़े दिनों के लिए, थोड़े लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बहुत लोगों को बहुत समय के लिए गुमराह किया जा सकता है लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता। क्या हम उसकी तैयारी करके बैठे हैं? मेरा निवेदन है कि यह हमारे साथ न्याय नहीं है। जो भी वायदे हैं, हम उन्हें अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसमें आपका सहयोग चाहेंगे। इस तरह के रचनात्मक कामों में कभी हमने असहयोग नहीं किया। यह बात अलग है कि इस तरह का राष्ट्रीय कार्यक्रम कभी नहीं रखा गया। यह बात भी अलग है उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सारे देश को जुटाने की बात नहीं की गई। जहां की गई, जितनी की गई, उसमें सफलता मिली। हम राजनीतिक बिखराव को इस सीमा तक न जाने दें कि इस देश में मिल कर काम करना और बुनियादी सवालों पर मिल कर काम करना असम्भव हो जाए।

मुझे आश्चर्य हुआ, जब श्री नटवर सिंह जी ने विदेश नीति का उल्लेख किया और कहा कि क्या विदेश नीति बदली जा रही

है? मैं जब प्रतिपक्ष में था और विदेश नीति पर भाषण दिया करता था, आज मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहा हूं, नटवर सिंह जी मुझे बधाई दिया करते थे। अगर मैं प्रतिपक्ष में रहकर विदेश नीति का समर्थक था और जो हमारी विदेश नीति को निचोड़ रहा है, स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति, क्षमता यही गुट निरपेक्षता है। आज गुट तो नहीं है, मगर एक महाशक्ति उभर रही है। अनेक विकासशील देश हैं।

वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी सदस्य हैं। वह हमारी ओर देख रहे हैं। वे हमसे कह रहे हैं कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अंकित शर्तें मानते गए, आपने अपनी जनता के हितों की रक्षा नहीं की, इतने बड़े होकर अगर आप इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते तो हम छोटे देश क्या करेंगे? पहले भी नेहरू जी के नेतृत्व में हमने उनका मार्गदर्शन किया था। मैं उस कोटि में अपने को नहीं रखता, लेकिन आज सारा भारत अपनी सर्वप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठा खड़ा होगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आर्थिक मामलों में या सुरक्षा के मामलों में हम किसी के दबाव में नहीं आयेंगे। जो निर्णय होंगे, हमारे अपने निर्णय होंगे, देश के हित में होंगे और इन निर्णयों में आप सबकी भागीदारी हो, यह मैं चाहता हूं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि विदेश नीति कोई जड़ नीति नहीं हो सकती, गतिहीन नीति नहीं हो सकती। परिस्थिति बदलती है तो उसके अनुरूप अपने को उसे ढालना पड़ता है, लेकिन जो आधारभूत बात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करने की बात बड़े विवाद की बात बन गई है। जिन्होंने इस तरह की समीक्षा का समर्थन किया, वे सब दलों के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। उनके बारे में यह आशंका प्रकट नहीं की जा सकती कि वह डा. अंबेडकर के सब किये धरे पर पानी फेरना चाहते हैं। लेकिन हमारे संविधान को पचास साल हो गए, और हमने उसमें स्वयं कई बार संशोधन किया है। संशोधन की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वयं की थी क्योंकि वे जानते थे कि जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, वह कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। वह देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए हो रहा है और आवश्यकता हुई तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, और किये जाने का रास्ता उन्होंने खोला था लेकिन संशोधन बहुत कड़ा बना दिया था— दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता निश्चित कर दी गई थी। अब यह जो प्रस्तावित कमीशन है, इसमें एक तो ऐसे लोग लिये जायेंगे जिनकी निष्पक्षता में, जिनकी विद्वता में, जिनकी विधि के बारे में योग्यता में कोई संदेह नहीं होगा और दूसरे, वह केवल सिफारिश करेंगे। वह कमीशन इस देश के ऊपर कोई निर्णय थोप नहीं देगा। वह सिफारिश संसद के सामने रखी जायेगी और संसद में हमारा बहुमत जरूर है, मगर कितना बहुमत है, यह आपको मालूम है। तो इस तरह का एक हौवा खड़ा करना गलत है कि कमीशन बैठाना गलत है और इस कमीशन बैठाने के पीछे इनकी नीयत ये है कि ये सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। भारत ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है। यह कभी राजतंत्र नहीं बनेगा। आरिफ साहब हमें यह चेतावनी देने की जरूरत न समझें। भारत कभी मजहबी राज्य नहीं बनेगा, यह भी हमारी ओर से बार-बार कहा जाता रहा है। अस्पृश्यता फिर से कानूनी नहीं होगी, जो व्यवहार में है, उसे भी हम खत्म करना चाहते हैं। बात सत्ता के विकेन्द्रीकरण की हो रही है। दिल्ली में बैठी हुई सत्ता थोड़ा अपने अधिकार, थोड़ा अपने साधन छोड़े, राज्यों को अधिक अधिकार मिलें, राज्यों को अधिक वित्तीय साधन मिलें, यह हमारी नीति है। इसमें सब कुछ केन्द्रित हो जाएगा और उस केन्द्रीकरण के कारण देश का जीवन बदल जाएगा, लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, इस तरह से विचार करने का तो कोई आधार नहीं है।

मैं फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी कोई छिपी हुई मंशा नहीं है। यह मुझे बार-बार कहना पड़ता है, यह भी सचमुच में मुझे पीड़ा देने वाली बात है। लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करके ही हम आगे चल सकते हैं, विश्वास करके ही आगे चल सकते हैं। ईमानदारी से काम करते हुए गलतियां हो सकती हैं, मगर अप्रमाणिकता का व्यवहार नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बचपन में सबसे पहले आर्य समाज के सम्पर्क में आया था, आर्य कुमार सभा का सदस्य था और आर्य कुमार सभा का सदस्य होने के नाते पाखंड खंडिनी पताका अंधविश्वास नहीं है। तर्क की कसौटी पर तथ्य को कसने की तैयारी यह मेरा बचपन का संस्कार है मतभेद को भी गम्भीरता के साथ प्रकट करना, निर्भीकता के साथ प्रकट करना, लेकिन प्रतिपक्षी की नीयत पर शक न करना और न उसे अपनी नीयत पर शक करने का मौका देना, उसके बाद जब मैं कालिज में पहुंचा तो मेरा स्टूडेंट फैडरेशन ऑफ इंडिया से सम्पर्क था, क्योंकि मैं छात्र आन्दोलन में पहले से रुचि लेता था, चुनाव लड़ता था, जीतता था, निर्विरोध निर्वाचित होता था। वह एक छात्र संगठन था जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उधर कैसे चले गये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: वापस आने के लिए। कम्युनिस्ट विचारधारा ने मुझे आकृष्ट किया था, लेकिन जब कम्युनिष्ट पार्टी ने मजहब के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया और उसे आत्मनिर्णय का नाम दिया तो फिर मुझे लगा कि इस पार्टी से मेरा नाता नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमने कभी भी अपने देश के विभाजन का समर्थन नहीं किया है *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, उन्होंने विभाजन का समर्थन किया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन आर्थिक समता, शोषण की समाप्ति ऐसे विश्व की रचना जिसमें कोई किसी के ऊपर प्रभुत्व नहीं जमायेगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा—यह विचारधारा उस समय बलवती थी।

श्री बसुदेव आचार्य: अभी भी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सोवियत संघ—जो स्वाधीनता के लिए लड़ते थे, उनके लिए आकर्षण का केन्द्र था। वहां व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं है, व्यक्तिगत स्वाधीनता को वहां समाप्त कर दिया गया है, यह बात बहुत बाद में प्रकाश में आई। पहले सोवियत संघ का जो आकर्षण पक्ष था, वही लोगों के सामने था और वह नई पीढ़ी को अगर साम्यवाद नहीं तो लोकतांत्रिक समाजवाद जरूर प्रेरणा देता था। जो क्रांतिकारी थे वे कम्युनिस्ट भी थे और समाजवादी भी थे, जिन्होंने देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान किया। जब मैं स्टूडेंट फैडरेशन में था तभी मेरा सम्पर्क आर.एस.एस. से हो गया था, वह अच्छा संगठन है, अनुशासन की शिक्षा देता है, देश के लिए प्रतिदिन कुछ करो, इसकी प्रेरणा देता है। उसके साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। लेकिन अनेक सदस्यों को यह याद नहीं होगा कि जब भारत पर हमारे पड़ोसी देश का आक्रमण हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 26 जनवरी आ गई, गणतंत्र दिवस की परेड होनी थी, अधिकांश सेना का भाग सीमा पर तैनात था, सुरक्षा के कारण उसे वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन परेड तो होनी चाहिए। इसलिए जो थोड़ी बहुत सेना उपलब्ध थी, पुलिस उपलब्ध थी, उससे परेड की गुंजाइश की गई। फिर पंडित जी को किसी ने सुझाव दिया कि इसके साथ जनता का मार्च भी होना चाहिए।

आज जब देश की सीमाएं संकटापन्न हैं, तो देश की एकजुटता प्रकट होनी चाहिए। उसमें आर.एस.एस. को भाग लेने के लिए बुलाया गया। मुझे याद है कि नेहरू जी के इस कदम का कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में विरोध हुआ था, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि आर.एस.एस. से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज जब देश संकट की घड़ी में है, तो ये मतभेद हमें भुलाने चाहिए और सबको मिलकर खड़े होना चाहिए। फिर जब देश पर हमला हुआ, सेना की कमी थी, पुलिस की कमी थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उस समय यह कठिनाई आई कि दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध कौन करे? इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों की कमी पड़ रही थी। यह काम फिर हमें सौंपा गया और उस समय मैंने कहा था—

"दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करै न कोय।
जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे को होय॥"

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं अपने को सारी अच्छाइयों का आगार पाता हूं, लेकिन हमने 40 साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया है और हम आशा करते हैं अब जो प्रतिपक्ष में आए हैं, वे बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत देर रहेंगे, वे भी अपने धर्म का पालन करें। "धर्म" का अर्थ "रिलीजन" नहीं है। धर्म एक व्यापक शब्द है। "धर्म चर" अर्थात् धर्म पर चलो। किस धर्म पर चलो, इसकी व्याख्या नहीं की गई है, इसे इंगित नहीं किया गया है। अपने धर्म पर चलो। आपका धर्म क्या है, यह आप तय करें। मेरा धर्म यह है कि मैं आपको संशोधित करूं और अच्छी बातें कहूं, और आपका धर्म यह है कि आप शांति से सुनें। जब रिलीजन का अनुवाद धर्म कर दिया जाता है, तो भ्रम पैदा होता है। अगर 'सैकुलर" शब्द का अनुवाद "पंथनिरपेक्ष" किया जाता, "संप्रदाय निरपेक्ष" किया जाता, क्योंकि कोई धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, सब धर्म सापेक्ष होते हैं, तो इतनी गलतफहमी पैदा नहीं होती, लेकिन अब उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम सैकुलरवादी हैं, देश सैकुलरवादी रहेगा, तो भरोसा करिए और हम इस पर अमल करके दिखाएंगे, व्यवहार में लाकर दिखाएंगे। जो गलतफहमियां जानबूझकर या अनजाने में फैलाई गई हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उनका निराकरण कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, श्री जनार्दन रेड्डी ने एक और महत्वपूर्ण मामला उठाया। आन्ध्र प्रदेश में कपास की खेती करने वाले हमारे किसान भाई बड़ी संख्या में आत्महत्या कर के अपनी जान दे रहे हैं। यह मामला चुनाव में भी उठा था। आन्ध्र प्रदेश की सरकार से भी मैंने इस प्रश्न की चर्चा की है। यह तो सचमुच में एक गहरी बीमारी का लक्षण है, लेकिन नौबत यहां तक आ गई है कि किस तरह का रसायन, किस तरह का खाद, काम में लाया जाए, कितना काम में लाया जाए, किसान के लिए कर्जे की कितनी व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था हो, और अगर वह कर्जा देने की स्थिति में न हो, तो क्या जान देने की स्थिति तक पहुंच जाए—ये सारे प्रश्न हैं, जो हमारे हृदय में मंथन कर रहे हैं और हमें इन प्रश्नों पर विचार करना होगा। जनार्दन रेड्डी तो स्वयं आंध्र प्रदेश से आते हैं। मैं इस संबंध में शीघ्र ही कुछ कदम उठाऊंगा, ऐसा मैं सदन में आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन को बहुत शक्ति देने की आवश्यकता है। कुछ प्रदेशों में सहकारी समितियां सफल होती हैं और कुछ प्रदेशों में जितनी सफल होनी चाहिए उतनी फसल नहीं होती हैं, लेकिन सहकारी समाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

लोकतंत्र में भागीदारी कैसी होगी? भागीदारी कोई निर्गुण चीज नहीं है। यह निराकार वस्तु नहीं है। यह सगुण है, साकार है। कहां भागीदारी हो, किस रूप में हो? एक सरकारी तंत्र है और दूसरा

उद्योगपतियों का, धनपतियों का अपना तंत्र है। हमें एक तीसरा क्षेत्र विकसित करना चाहिए, जो कुछ मात्रा में हुआ भी है, मगर इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सहकारिता आन्दोलन में जो दोष आ गये हैं, उनका हम निराकरण करें। उसे जीवंत बनायें, उसे जागृत बनायें। जिनके हितों की रक्षा के लिए वह सहकारी समिति गठित होती है या आंदोलन चलता है, उनकी रक्षा वास्तव में होनी चाहिए। सहकारिता के मामले में ऐसा भी दिखायी देता है कि जो अधिक साधन सम्पन्न हैं, वे सहकारी समितियों पर कब्जा कर लेते हैं। वे उसका राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। दलबन्दी से उसे अलग रखना पड़ेगा। लेकिन यह सहकारिता का जाल पूरे देश में फैले, इस बात की आवश्यकता है और इसे बढ़ाना हमारे लिए जरूरी होगा।

निषाद जी यहां बैठे हैं। मैं उनके द्वारा रखे गये अच्छे सुझावों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी वोटरों को परिचय-पत्र मिलना चाहिए। हम लोग बरसों से इसकी मांग करते रहे हैं। इसका आरंभ भी कर दिया गया, लेकिन वह मामला खटाई में पड़ गया। अगर जाली मतदान रोकना है, तो उसके लिए परिचय-पत्र की आवश्यकता है। अगर देश में गलत लोगों का प्रवेश रोकना है, तो उसके लिए भी हर नागरिक के पास परिचय-पत्र होना चाहिए। आपातकाल या संकट के समय जहां परिचय-पत्र की आवश्यकता हो, वहां परिचय-पत्र हर नागरिक की जेब में रहे तो उससे कई सुविधायें होंगी और उस परिचय-पत्र के आधार पर वह राहतें भी पा सकता है। वह परिचय-पत्र दिखाकर राशन कार्ड प्राप्त करने में भी आगे बढ़ सकता है।

मैं उनके इस सुझाव से सहमत हूं लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनूठा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक परसेंट से कम वोट प्राप्त करने वाले को छह महीने की सजा होनी चाहिए। यह अच्छा सुझाव है लेकिन जरा कठोर ज्यादा है। इसे व्यवहार में लाना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक खर्चा करने की छूट नहीं होनी चाहिए। चुनाव खर्चीले होते जा रहे हैं।

वर्ष 1957 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। उस समय मेरे पास दो जीपें थीं। मैं लखनऊ से बलरामपुर गया था। बलरामपुर को मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। पार्टी ने कहा कि बलरामपुर की सीट अच्छी मालूम होती है, लड़ जाओ। हम चले गये। एक जीप साथ ले गये थे, एक जीप वहां जुटा ली और दो जीपों से चुनाव लड़ा। पूरे क्षेत्र में घूमे और जीत गये—दो जीपों से। अब तो काफिला चाहिए। कहां से आयेगा? क्या काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? हम सब हृदय पर हाथ रखकर सोचें। इसलिए जब संविधान की समीक्षा की चर्चा होती है तो एक चुनाव प्रणाली ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): संविधान से इसका संबंध नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इसका संबंध इस बात से है कि अगर चुनाव प्रणाली में संशोधन कर दिया जाये और सूची पद्धति ''लिस्ट सिस्टम'' को लागू कर दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

सब चुनाव क्षेत्रों में नहीं तो आगे चुनाव क्षेत्र में व्यक्ति, मतदाता पार्टी को ही वोट देगा। ...*(व्यवधान)* वही मैं कह रहा हूं। उसमें भी कठिनाइयां हैं, यह मैं जानता हूं लेकिन उससे जातिवाद पर भी असर पड़ेगा और एक सामूहिक चिन्तन की प्रक्रिया शुरू होगी।

मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें विस्तार से नहीं जा रहा हूं। लेकिन महंगा होते हुए चुनाव राजनीति को पूंजीपतियों की दासी बनाकर छोड़ेगा।

यह खतरे की घंटी है। कभी-कभी इच्छा होती है कि ऐसा चुनाव न लड़ा जाए। लेकिन मैदान छोड़कर भी नहीं जा सकते—''न दैन्यम् न पलायनम्''।

अर्जुन ने दो प्रतिज्ञाएं की थी कि न तो दीनता दिखाएगा और न मैदान छोड़कर जाएगा। मैं अर्जुन होने का दावा तो नहीं करता लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश की तस्वीर बदले। मेरे लिए यह चुनाव अंतिम होगा। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज मैं कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर: प्रक्रिया बदल दीजिए, यह बात सही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्रक्रिया तो तब बदलेगी जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलेंगे। ...*(व्यवधान)* हमारी, आपकी, सबकी। मगर गहराई से विचार करें। कभी-कभी मन खट्टा हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है।

अभी गठबंधन हुआ है, किसी को बहुमत नहीं मिला, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। अगर हम जोड़-तोड़ करके या सहयोग लेकर सरकार न बनाएं तो हमारी विचारधारा गलत है, हम गलत हैं, हम दुर्गुणों की खान हैं—यह लम्बा समय मैंने गुजारा है, पायलट साहब। आपको तो अभी थोड़ा अनुभव हो रहा है।

श्री राजेश पायलट: जैसे आज के लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं। आपने तो आर्ट ऑफ गवर्नेंस कहा। यह गलत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप फिर अखबारों पर जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अध्यक्ष महोदय, मैं और विस्तार से अलग-अलग मुद्दों पर टिप्पणियां करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं अपने तरुण मित्र श्री उमर फारुख अब्दुल्ला को, यदि वे सदन में हैं तो, बधाई देना चाहता हूं। वे पहली बार चुनकर आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है। हमारे भारत के ऊपर जो आरोप लगाये जाते हैं, कश्मीर के एक नागरिक के नाते उनका जवाब सबके लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए, सबके लिए एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए।

इस चर्चा में नॉर्थ ईस्ट की बात भी उठी है। आज त्रिपुरा से एक शोकजनक समाचार आया है। वहां कुछ क्षेत्रों में अशांति है, हिंसात्मक उपद्रव हैं। उसकी ओर सभी सरकारें विशेष ध्यान देती रही हैं। लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि उत्तर पूर्व के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उस दिन भी मैंने इसका उल्लेख किया था। उत्तर पूर्व के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं शीघ्र ही उनकी बैठक बुलाकर, वहां की परिस्थिति के संबंध में विचार करूंगा। उनके सुझाव मांगूगा तथा क्या कदम और उठाये जा सकते हैं, उसके बारे में हम निर्णय करेंगे।

बोडोलैंड के हमारे सदस्य ने भी भाषण दिया जिसमें उन्होंने बोडोलैंड की कुछ समस्याएं रखी हैं। समस्याएं विकास से जुड़ी हुई हैं और उन सारी समस्याओं पर हम गंभीरता से चर्चा करें, सबकी राय से एक नतीजा निकालें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, यह तो इसकी व्याख्या करने की बात है। हमारा मुद्दा केवल सामाजिक-आर्थिक समस्या से ही संबंधित नहीं है। यह तो बहुत ही गंभीर जातीय-राजनैतिक संकट है। इसे अलग बोडोलैंड देकर ही राजनैतिक तौर पर हल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, सरकार का नया राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने का कोई इरादा नहीं है।

हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में, अपने नेशनल एजेण्डा में भी तीन नये राज्य बनाने की बात कही है। आज विदर्भ के एक माननीय सदस्य मुझसे मिलने के लिए आये थे और उन्होंने एक स्मृति पत्र दिया है। हम उसके सभी पहलुओं पर विचार करके कोई फैसला करेंगे, यह मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री दत्ता मेघे: वह राज्य बनना चाहिए, ऐसा फैसला करिये।

श्री विलास मुत्तेमवार: अटल जी, नेशनल कमीशन ने इसके लिए रिकमेण्ड किया है। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हमारे मार्क्सवादी मित्र ने यह पूछा था कि जो खेतीहर मजदूर हैं, उनकी समस्याओं की उपेक्षा की गई है। ऐसा नहीं है। कई प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी के कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। जहां किसान समृद्ध हैं, जहां किसान के पास पैसा है, वहां न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा भी मजदूरी मिल रही है। लेकिन यह स्थिति सारे देश पर लागू नहीं है और अगर आम राय यह बनती है कि इसके लिए केन्द्रीय कानून हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

मैं बिहार गया था, जब वहां बड़ा हत्याकाण्ड हुआ था तो मैंने जहानाबाद के पास लैथे में पूछा था, किसान लोगों से, जो पीड़ित थे कि क्या कोई जमीन का झगड़ा है या मजदूरी का झगड़ा है। उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन का झगड़ा भी नहीं है, मजदूरी का भी झगड़ा नहीं है। इसके मूल में कोई और झगड़ा है।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): अभी वह कमीशन में है, इसलिए उस पर मत बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, श्री सुव्रत मुखर्जी ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सरकार पहले से उस दिशा में विचार कर रही है। अब सिंचित जमीन की सीमा बढ़ाने में कठिनाई है, लेकिन बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और अगर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाये, उसमें सब का सहयोग मिले, सरकार को तो पहल करनी ही पड़ेगी, तो बंजर जमीन को हम खेती लायक बनाकर इस देश में पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुद्दे तो बहुत से उठाये गये थे। मेरे लिए इस समय सब का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) सांसदों की योग्यता भी तय हो। यहां चपरासी और मार्शल की भी शैक्षणिक योग्यता तय है, सब के लिए तय है, कांस्टेबल तक के लिए योग्यता तय है। विधायक और सांसद कितने पढ़े-लिखे हों, यह भी तय करिये। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं, मगर विधायकों को चुनने वाले अगर पढ़े-लिखे नहीं हैं और पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है, मैंने प्रारम्भ में ही कहा था।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): लोक सभा पांच साल के लिए हो, यह भी तो कहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उस दिन इसका उल्लेख कर चुका हूं। ये सारी बातें संविधान के बारे में जो आयोग बनेगा, उसमें आप रख सकते हैं, वहां वकालत कर सकते हैं, अपने पक्ष को उनसे मनवा सकते हैं, और फिर संसद् में जब बात आये तो उचित निर्णय कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): उस आयोग में कल्पनाथ जी और हमारा होना जरूरी है।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी नहीं थे, मैंने दो मुद्दे उठाये थे। पहला मुद्दा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रमोशन में रिजर्वेशन का था। संविधान में संशोधन करके उसको ला दिया गया है, लेकिन डी.ओ.पी. के कारण वह नहीं हो पाया था और हम लोगों के समय में भी उसको जब लिया गया था, तब तक चुनाव की घोषणा हो गई थी। आप उसको जरा देख लें।

दूसरा मुद्दा हमने रखा था कि जो लोग टाडा के अन्दर जेल में बन्द हैं, कल आपने लखनऊ में बहुत अच्छी बात कही, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। जब टाडा का कानून खत्म कर दिया गया है तो जो लोग टाडा के अन्दर बन्द हैं, तो उनका जनरल तरीके से मुकदमे के तहत ट्रायल किया जाये। इन दो मुद्दों पर आप विचार करेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, राम विलास जी ने अच्छे सुझाव दिये हैं, उन पर अवश्य विचार किया जायेगा। वे भविष्य में भी इसी तरह से अच्छे सुझाव देते रहेंगे, हम उनसे यह आशा करते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है

...(व्यवधान)

श्री तरुण गगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तरुण गगोई जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर कई संशोधनों का प्रस्ताव किया है। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रख दूँ या कोई सदस्य किसी संशोधन विशेष को अलग से रखना चाहते हैं?

अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 मार्च 1998 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.52 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भारी तूफान से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा किए गए राहत और पुनर्वास उपाय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री, श्री सोमपाल वक्तव्य देंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं 24 मार्च, 1998 को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आये तूफान से उत्पन्न हुई स्थिति पर और सरकार द्वारा किये गये राहत और पुनर्वास उपायों पर वक्तव्य देने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

यह तूफान 24 मार्च, 1998 को दोपहर में उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कुछ तटवर्तीय क्षेत्रों में आया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री सोमपाल: उड़ीसा सरकार से मिली अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार इस तूफान की चपेट में बालेश्वर जिले में जलेश्वर तहसील के तीन गांव में लगभग 5,000 व्यक्ति, 2,000 मकान तथा चार शैक्षिक संस्थान आए तथा इसके अलावा 22 मनुष्यों की मृत्यु हुई जिनमें 13 बच्चे थे। इसमें 97 व्यक्ति घायल हुए हैं *...(व्यवधान)*